[1][धारा 122ख : खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधो के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधो के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रूपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा धारा 122ख अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।